

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 /

भोपाल, दिनांक / 06 / 2019

// आदेश //

डॉ० कस्तूरी उईके, सर्जिकल विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच / लोकायुक्त प्रकरण / न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ० कस्तूरी उईके, सर्जिकल विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल गाडरवारा जिला नरसिंहपुर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

(डॉ० कैलाश बुन्देला)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 1054

भोपाल, दिनांक 13 / 06 / 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश की ओर पत्र क्रमांक 1969 दिनांक 08 / 03 / 2019 के संदर्भ में प्रेषित।
04. डॉ० कस्तूरी उईके, सर्जिकल विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल गाडरवारा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/


भोपाल, दिनांक /05 /2019

//आदेश//

डॉ०श्रीमती प्रतिभा राजुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, क्षय चिकित्सालय, जिला भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ०श्रीमती प्रतिभा राजुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, क्षय चिकित्सालय, जिला भोपाल को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-



(डॉ.बी.डी.खरे)

उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/ 922 भोपाल, दिनांक 25/05/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्य प्रदेश।
 3. अधीक्षक क्षय चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश की ओर पत्र क्रमांक/स्था./2019/1286 दिनांक 18/04/2019 के संदर्भ में प्रेषित।
 4. डॉ०श्रीमती प्रतिभा राजुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, क्षय चिकित्सालय, जिला भोपाल मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ।
- ✓ 5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।


/ 25 5 19
उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 919 भोपाल, दिनांक 25 / 05 / 2019

// आदेश //

डॉ0ज्योति कुमार जैन,शल्यक्रिया विशेषज्ञ,सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

अतः डॉ0ज्योति कुमार जैन,शल्यक्रिया विशेषज्ञ,सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

— हस्ताक्षर

(डॉ.बी.डी.खरे)

उप संचालक (विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,

मध्यप्रदेश

पृ0क0 / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 920 भोपाल, दिनांक 25 / 05 / 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी0बी0 मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल संभाग भोपाल मध्य प्रदेश।
3. अधीक्षक सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल मध्यप्रदेश की ओर पत्र क्रमांक / स्था. / 2019 / 1442 दिनांक 22 / 04 / 2019 के संदर्भ में प्रेषित।
4. डॉ0ज्योति कुमार जैन,शल्यक्रिया विशेषज्ञ,सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

25/5/19

उप संचालक (विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/

भोपाल, दिनांक / / 2019

//आदेश//

डॉ० शेहला परवेज, चिकित्सा अधिकारी, (वर्तमान में राज्य सलाहकार शहरी स्वास्थ्य मिशन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिगंनोद, जिला रतलाम के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण इस विभाग में लंबित नहीं है।

अतः डॉ० शेहला परवेज, चिकित्सा अधिकारी, (वर्तमान में राज्य सलाहकार शहरी स्वास्थ्य मिशन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिगंनोद, जिला रतलाम को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न-एनेकजर "ब"

संचालक, प्रशासन द्वारा अनुमोदित-

हस्ता/-

(सुरभि तिवारी)

संयुक्त संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/ 270

भोपाल, दिनांक 13/2/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम, म०प्र०।
04. डॉ० शेहला परवेज, चिकित्सा अधिकारी, (वर्तमान में राज्य सलाहकार शहरी स्वास्थ्य मिशन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिगंनोद, जिला रतलाम म०प्र० की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

संयुक्त संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/

भोपाल, दिनांक / / 2019

// आदेश //

डॉ० धर्मेन्द्र कनोरिया, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, छतरपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण इस विभाग में लंबित नहीं है।

अतः डॉ० धर्मेन्द्र कनोरिया, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, छतरपुर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न-एनेक्जर "ब"

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हरभा/1-

(सुरभि तिवारी)

संयुक्त संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क०/1-जी/विज्ञप्त/सेल-2/2019/244

भोपाल, दिनांक 11/2/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सागर म०प्र०।
04. डॉ० धर्मेन्द्र कनोरिया, दंत चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, छतरपुर म०प्र० की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

1

संयुक्त संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 /

भोपाल, दिनांक / / 2019

// आदेश //

डॉ० एन०सी० गुप्ता, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, श्योपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण इस विभाग में लंबित नहीं है।

अतः डॉ० एन०सी० गुप्ता, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, श्योपुर को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

ए-ना 1-

(डॉ० जे.विजयकुमार)

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 173

भोपाल, दिनांक / / 2 / 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, श्योपुर, म०प्र०।
04. डॉ० एन०सी० गुप्ता, शल्यक्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, श्योपुर म०प्र० की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

W

संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 /

भोपाल, दिनांक / / 2019

// आदेश //

डॉ० कमल सिंह सेंधव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनासा, जिला खण्डवा के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण इस विभाग में लंबित नहीं है।

अतः डॉ० कमल सिंह सेंधव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनासा, जिला खण्डवा को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

हरन/1/-

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2019 / 109

भोपाल, दिनांक 15/ / 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, खण्डवा, म०प्र०।
04. डॉ० कमल सिंह सेंधव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनासा, जिला खण्डवा म०प्र० की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

15.1.19

15.1.19

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक

// आदेश //

डॉ० शैलेन्द्र माथूर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला रतलाम के विरुद्ध कोई विभागीय जांच / लोकायुक्त प्रकरण / न्यायालयीन प्रकरण इस विभाग में लंबित नहीं है।

अतः डॉ० शैलेन्द्र माथूर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला रतलाम को पासपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न- ANNEXURE "B"

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

EX-11

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ०क्र० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 9

भोपाल, दिनांक 3 / 1 / 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, डी०बी० मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रतलाम, म०प्र०।
04. डॉ० शैलेन्द्र माथूर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला रतलाम म०प्र० की ओर पालनार्थ।
05. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

3/1/19

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश